



38/1

दूरभाष— 2286709
2286710

नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

05/05/15

पत्रांक : 350 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में

दिनांक : 5 अप्रैल 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद—रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या—37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवगुक्त कर दी गई है:

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	360.516
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
	रामपुर	अल्पसंख्यक—37 बजट	न०पा०परि० रामपुर	वार्ड सं० 4 के मो०० खटकाना में मंजूर भाई झाईवर के मकान से जायेद के मकान होते हुये शकील भाई के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड सं० 4 के मो०० घटकान में रजा अली खौं के मकान से शब्दू खौं के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड सं० 04 के मो०० खटकान में नाला से हनीफ भाई के मकान इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड सं० 4 मो०० अल्ला अटठा नूर मुन्सीर वाली मस्जिद में चक्कन खौं के मकान से शराफत हुसैन, मरिजद, सज्जाद खौं के मकान होते हुये सावे खौं के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं० 04 मो०० अल्ला अटठा नूर मुन्सीर वाली मस्जिद में हामिद खौं के मकान से कलवे अली खौं, नन्हे खौं, बबलू जमील के मकान होते हुये नाला तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड सं० 4 के मको०० खटकान में करामत खौं के मकान से उसमान खान के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड सं० 4 के मो०० खटकान में शब्दू खौं के मकान से अमीर हसन, मकसूद अली के मकान होते हुये गददन खौं के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। वार्ड सं० 4 में गो तकिया फत्तेशाह कोतवालान में शाहनवाज खौं के मकान से दिल्लन तांगे वाले के मकान तक एवं इकबाल हसन के मकान से मुन्ने खौं के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	175.934



२४२

दूरभाष— 2206709
2206710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र० सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				<p>वार्ड सं० 5 के मो गंगापुर में बनवारी के मकान से एस०के कपूर, चन्द्रसेन सभी सिन्हा, अरविन्द्र गौड व जसवन्त के मकान होते हुये ललित त्यागी, राजेन्द्र सक्सेना के मकान से डी०के० कम्बौज के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 9 के मो० राजदवारा में लईक के मकान से भूरा भाई के मकान तक, रतन लाल के मकान से शान्ति देवी, धर्मशाल तक, पप्पू की दुकान से चमन की दुकान तथा सहादत खों के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 9 मो० सदर अस्पताल से भूरा खों के मकान से शाहिद के मकान होते हुये रईस भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 9 के मो० चादर वाला बाग में जिला अस्पताल रोड के पास सैदा खों के मकान से अनिल व बंगाली बाबू के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 9 के मो० चादर वाला बाग में जिला अस्पताल रोड के पास मर्सिजद से हफीज अहमद के मकान तक व राशि मैम्बर अब्दुल रहमान, जवैद, दिलीप, अब्दुल वारी व अमीर अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड सं० 09 के मो० चादर वाला बाग में सीताराम के मकान से जमीर खों के मकान व सुरेश सिंह, गिरीश चन्द्र, रफी, विनोद, चौधरी, राजाराम, जुम्मा अहमद अली, एहसान अली आदि के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड सं० 9 के मो० चादर वाला बाग में बबू के मकान से केदार सिंह व छोटी लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड सं० 16 के मो० मिलन बिहार वाली गली में ट्रान्सफार्मर से अली कावाले के मकान होते हुए पीएस कुलौरा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 16 के मो० मुरारी लाल के बाग के पास फूल भाई के मकान से वी०वी० शर्मा के क्लीनिक तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 16 के मो० एकता बिहार मुरारी लाल के बाग के पास अमीर प्रिटिंग प्रेस से विवेक पहल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 16 के मो० गंगा पुर कालोनी में आई०डी०डी०आई० बैंक के पास से जुबैर खा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 16 के मो० गंगापुर में शिव मन्दिर के सामने रोशन के दुकान से प्रभावती स्कूल, रूप चन्द्र के मकान होते हुये रोशन लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p>	

W



३८/३

दूरभाष— 2286709
2286710
नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मिलन	निकाय का नाम	वास्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किशत की धनराशि का प्रेषण
				<p>वार्ड नं० 16 के मो० गंगापुर में राम किशोर के मकान से बड़े राम जी, मोहन लाल, खमानी राम, विनोद, रामकुमार प्रेम के मकान होते हुये चरन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 16 के मो० गंगापुर में भावना लेडिज कार्नर से प्रभात अग्रवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p>	
	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० रामपुर	<p>वार्ड सं० 16 मो० मिलन विहार मड़ैयान नादर बाग में किशन लाल के मकान से हरी बाबू, प्रदीप मुंशी लाल के मकान होते हुए प्रेमराज के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड सं० 16 मो० मिलन विहार मड़ैयान नादर बाग में गोपाल हरी के मकान से सुषमा वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड सं० 16 मो० मड़ैयान नादर बाग में करीम होटल से रेहान भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड सं० 16 मो० मड़ैयान नादर बाग में सलामत जोन के मकान से जरीन भाई, अब्दुल हनीफ, फरमान अली व मो० सलीम के मकान होते हुये लिटिल बाउन्डर स्कूल तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड सं० 16 के मो० शक्तिपुरम् में नार्दन चाईल्ड एकेडमी से हसीब अहमद एडवोकेट के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 17 के मो० मड़ैयान नादर खाँ में महफूज भाई के रेस्टोरेन्ट से अबरार भाई, शाहिद भाई व कादिर भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 17 के मो० मड़ैयान नादर बाग में शौकत भाई के मकान से परवेज भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 17 के मो० खटकान में बरेली रोड अमीना चाईल्ड सेन्टर से तमसिन अन्नवी खाँ के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 17 खटकान में बरेली रोड अलीम साहब के मकान से मुख्यार जहां के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 17 के मो० बावादीप सिंह नगर में रामचरन के मकान से फौजी साहब व डा० जगत पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 18 के मो० मिस्टन गंज रोड के पास गेट लंगर खाना से सुन्दर लाल इण्टर कालेज होते हुए हरी जूनियर हाई स्कूल व मुख्यार भाई की दुकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 19 के मो० गली लंगर खाना में कल्ली आपा से लाला हंसराज के मकान तक खतीब खाँ के मकान से</p>	184.582



३८/४

दूरभाष- 2286709

2286710

नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				<p>कृपाल सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 19 के मो० तिलक कालोनी में मजार शरीफ से इमरान इलेक्ट्रानिक की दुकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 21 के मो० इमली झूली वाली गली में गरीब नवाज के मकान से मदरसा नूर कुरआन तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 21 के मो० फते खां में अहमद अली के मकान से वाहिद भाई, वजीद खां, फरहान भाई व दमेर खां के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>नं० 24 के मो० कहारी वाली चौक बजरिया खानसामा में यूसूफ पीर के मकान से शकुरराना के मकान एवं साजिद के मकान से जहूरखां के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 के मो० इमली बतनिया में परवेज खां के मकान से हामिद इंटर कालेज तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 मो० इमली बतनिया कूचा नक्का वालान में सराया पोख्ता के अन्दर नफीस फारुखी के मकान से खुशीद भाई के मकान होते हुए शरीफ भाई के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 के मो० इमली बतनिया कूचा नक्का वालान में कोतवाली रोड से बिलाल के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 के मो० इमली बतनिया कूचा नक्का वालान में सलीम भाई के मकान से रफन भाई के मकान होते हुए हामिद भाई के मकानर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 के मो० सराय पोख्ता में अलीमुद्दीन भाई की दुकान से इस्लामिया मरिजद होते हुए महबूब भाई के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 के मो० झण्डा बड़े पीर साहब में हनीफ भाई के मकान से जहूर भाई के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 के मो० बारादरी महमूद खा पीर जी की ज्यारत अली वाली रोड में कैलाश सक्सेना के मकान से पीर जी की मजार भूर मिया के मकान होते हुए गुडदू जफर के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 के मो० बारादरी महमूद खा पीर जी की ज्यारत अली वाली रोड में कैलाश सक्सेना के मकान से पीर जी की मजार भूर मिया के मकान होते हुए मुन्ना पहलवान के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 के मो० बारादरी महमूद खा में हारून रशीद के मकान से खान भाई की ब्रांच तक इंटरलाकिंग एवं नाली</p>	



3818

दूरभाष— 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				<p>निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 के मो० बारादरी महमूद खां में कैले वाली मस्जिद से नासिर भाई के मकान होते हुए इमरान शाह के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड नं० 24 के मो० बारादरी महमूद खां में अजीम के मकान से सिददीकी के मकान एवं नन्हे भाई के मकान से मजर भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।</p>	
	योग				360.516

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में रु०१००१० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:—

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में रु०१००१० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015—16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध



38/6

दूरभाष— 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12-

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टर की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त मियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा।
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त मियन्त्रक